

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 85/2018 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

छोटुराम पुत्र चन्द्रराम जाति जाट निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री रामनिवास गोदारा वकील-वादी  
पेरोकार राज-प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 29.11.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष श्री सन्तलाल बिजारणिया वकील वादी व पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा दनियासर के खाता सं. 424/162 के ख.नं. 326 की 3.7939 है., 691 की 9.4848 है. कुल 13.2787 है. में से 7/48 हिस्सा एवं खाता सं. 422/165 के ख.नं. 692 की 0.7461 है. में से 7/48 हिस्सा सांझा खाता की कृषि भूमि में दर्ज वादी का नाम कुम्भाराम पुत्र चन्द्रराम के स्थान पर छोटुराम पुत्र चन्द्रराम दुरुस्त किये जाने की घोषणा की जाती है तथा शेष अंकन जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.11.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

हनुमानगढ़

